सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर थानागाजी (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/113/2022 दर्ज दिनांकः– 29.09.2022

1. भैरू पुत्र काला उम्र करीब 70 साल जाति गुर्जर निवासी डहरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. बुद्धि देवी उम्र 75 साल पत्नी देवकीनन्दन जाति ब्राह्मण निवासी बसई जोगियान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....असल

प्रतिवादीगण

1. रिछपाल पुत्र काला उम्र 78 साल जाति गुर्जर निवासी डहरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
2. कैलाश पुत्र बिरदा उम्र 54 साल जाति गुर्जर निवासी डहरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
3. रमेश पुत्र बिरदा उम्र 48 साल जाति गुर्जर निवासी डहरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
4. सरती पत्नी धूणीलाल उम्र 50 साल जाति गुर्जर निवासी डहरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
5. मुखराम पुत्र धूणीलाल उम्र 26 साल नवीरा बिरदा जाति गुर्जर निवासी डहरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
6. हंसराज पुत्र धूणीलाल उम्र 24 साल नवीरा बिरदा जाति गुर्जर निवासी डहरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
7. दिनेश पुत्र धूणीाल उम्र 22 साल नवीरा बिरदा जाति गुर्जर निवासी डहरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.01 18:32:08 IST
Reason: SelfAttested

8. सुमन पुत्री धूणीलाल उम्र 20 साल नवीरा बिरदा जाति गुर्जर निवासी डहरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

..................तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः–
1. देवीसहाय शर्मा एड0–प्रार्थी
2. श्री सुरेश शर्मा एड0– अप्रार्थी

–:निर्णयः–

दिनांकः– 17.04.2023

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 1.28 है0 व खसरा नम्बर 65 रकबा 1.92 है0 वाके ग्राम डहरा तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 1.28 है0 असल अप्रार्थी संख्या 01 के पति देवकीनन्दन को आवंटित हुई थी जिसका साबिक खसरा नम्बर 117 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा है तथा खसरा नम्बर 65 रकबा 1.92 है0 प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के बुजुर्ग बिरदा के नाम आवंटित हुई थी जिसका साबिक नम्बर 113 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा है जो मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित होता है। विवादित आराजी पर आवंटन के वक्त से ही प्रार्थी मौके पर लगातार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है । प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण अपनी अलॉटशुदा आराजी पर मौके पर काबिज है जिस पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण ने अपने मवेशियों का बाडा व रिहायशी मकान बनाये हुये है। मौके पर उक्त आराजी पर राजस्व कर्मचारियों ने अलॉटमेन्ट के बाद दखल दिलवाया उसी पर प्रार्थी काबिज चला आता है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में मौके पर जिस प्रकार दखल दिलवाया उसके अनुसार तितम्बा नहीं काटा है। जहाँ पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण काबिज है, असल में वह अप्रार्थी संख्या 01 का खसरा नम्बर 69 साबिक खसरा नम्बर 117 का तितम्बा दर्शा दिया है। असल अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी का बेचान किये जाने से प्रार्थी व अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अन्त में प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर असल अप्रार्थी को पाबंद फरमाया जावे कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.01 18:32:08 IST
Reason: SelfAttested

1.28 है0 व खसरा नम्बर 65 रकबा 1.92 है0 वाके ग्राम डहरा तहसील थानागाजी जिला अलवर को दीगरों को रहन–बय मुन्तकिल नहीं करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थी संख्या 01 को साबिक खसरा संख्या 117 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा आवंटित हुई थी। बन्दोबस्त विभाग द्वारा साबिक खसरा संख्या 117 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा से हाल खसरा संख्या 69 रकबा 1.28 है0 कायम किया गया है। उक्त हाल खसरा संख्या 69 रकबा 1.28 है0 अप्रार्थी संख्या 01 की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। अतः प्रार्थी का उक्त हाल खसरा संख्या 69 रकबा 1.28 है0 से कोई लेना–देना नहीं है। अतः प्रकरण में खातेदार व कब्जेदारी प्रार्थी के विरूद्ध जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जावें।

3. बहस वकुलाय की सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रकरण में हाल जमाबन्दी संवत 2075–2079 से स्पष्ट है कि हाल खसरा संख्या 69 रकबा 1.28 है0 वाके ग्राम डहरा अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा खसरा संख्या 65 रकबा 1.92 है0 प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि हाल खसरा संख्या 69 रकबा 1.28 है0 वाके ग्राम डहरा के साबिक खसरा संख्या 117 अप्रार्थी को आवंटित हुई थी। साथ ही खसरा नम्बर 65 रकबा 1.92 है0 प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के बुजुर्ग बिरदा के नाम आवंटित हुई थी जिसका साबिक नम्बर 113 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा है। परन्तु मौके पर उक्त आराजी हाल खसरा संख्या 69 रकबा 1.28 है0 पर राजस्व कर्मचारियों ने अलॉटमेन्ट के बाद प्रार्थी को दखल दिलवाया। उसी पर प्रार्थी काबिज चला आता है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में मौके पर जिस प्रकार दखल दिलवाया उसके अनुसार तितम्बा नहीं काटा है। जहाँ पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण काबिज है, असल में वह अप्रार्थी संख्या 01 का खसरा नम्बर 69 साबिक खसरा नम्बर 117 का तितम्बा दर्शा दिया है। जिस पर असल में मौके पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को कब्जा दिया गया। अतः हाल खसरा संख्या 69 रकबा 1.28 है0 वाके ग्राम डहरा पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण काबिज है। परन्तु अपने तथ्य की पुष्टि में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण [illegible]न के पश्चात् दिये गये कब्जे तथा तरमीम के सम्बन्ध में कोई साबिक रिकॉर्ड व नक्शा [illegible]तुत नहीं किया है। इसके साथ ही अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि [illegible] निषेधाज्ञा की आड़ में प्रकरण को बेवजह लम्बित रखना चाहता है। जिससे कि [illegible] अपनी आराजी का बेचान नहीं कर सके। अतः प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अभिकथित अभिवचनों के सम्बन्ध में कोई प्रमाणिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.01 18:32:08 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य/दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं करने के कारण अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु ठोस आधार प्रतीत नहीं होते है।

4. प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैः—

1. ***स्वामित्व एवं कब्जाः—*** वाद पत्र पर शामिल दस्तावेज जमाबंदी संवत् जमाबन्दी संवत 2075—2079 वाकै ग्राम डहरा तहसील थानागाजी पेश की है से आराजी विवादित खसरा संख्या 69 रकबा 1.28 है0 वाकै ग्राम डहरा तहसील थानागाजी जिला अलवर के अंकित इन्द्राज से अप्रार्थी की खातेदारी में अंकित है। अतः मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वामित्व साबित नहीं होता है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार अप्रार्थी का ही आराजी पर कब्जा होना स्वतः साबित तथ्य है। अतः शर्त प्रार्थी के पक्ष में पुष्ट नहीं होती है।
2. ***सुविधा का संतुलनः—*** मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी की खातेदारी आराजी होने तथा अप्रार्थी का कब्जा स्पष्ट साबित होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखता है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी प्रार्थी के पक्ष में पुष्ट नहीं होती है।

3. ***अपूरणीय क्षतिः—*** अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उक्त मुतनाजा आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी से प्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यदि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थी को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः

आदेश है कि—

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के तहत अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। अतः *प्रार्थना पत्र पर जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रत्याहारित किया जाता है।*

यह निर्णय आज दिनांक 17.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.01 18:32:08 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी—अलवर